

## लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री मंजीत चावला, पिता-श्री अमरजीत सिंह चावला, पता-G201, प्रित बिहार, दिल्ली द्वारा सोन-35 बालू घाट, मौजा-खराओं चतुर्भुज, प्रखंड-सहार, जिला-भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 21.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय सहार, सहार, जिला-भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2056/2022, dt. 11.01.2023 के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, द्वारा दिनांक 21.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय सहार, सहार, जिला-भोजपुर में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (350 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री दामोदर मौआर, पिता- स्व0 लक्ष्मी नारायण मौआर, ग्राम-खड़ाव चतुर्भुज, जिला-भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो उपाय बताये गये है। उसको शत-प्रतिशत लागू हो तो हमलोगों कोई दिक्कत नहीं होगा।
2.	श्री रामकृष्णा राय, पिता- स्व0 सत्यनारायण राय, ग्राम-खड़ाव चतुर्भुज, जिला-भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि धूल-कण ज्यादा उड़ता है। पानी का नियमित छिड़काव करना चाहिए। बालू खनन होना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिक-से-अधिक वृक्षारोण किया जाय। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जाय। ओभर लोडिंग नहीं किया जाय।
3.	श्री वीपुल, ग्राम-खड़ाव, जिला-भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि जिला खनन फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा काफी दिलचस्पी लिया जा रहा है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है। स्कूल में सुविधा मुहैया करायी जा रही है। आने वाले दिन में स्वास्थ्य एवं पेय-जल का सुविधा मुहैया कराया जायेगा।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय-जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशांसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही




ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख-रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि बालू का खनन वैद्य तरीके से हो एवं प्रदूषण नियंत्रण हो। संवेदक से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ-व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ-साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। मिशन कायाकल्प के तहत प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू खाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को ~~अनुमति~~ <sup>अनुमति</sup> का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


















NT/  
30-6-23  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,पटना

  
निदेशक,  
जिला ग्रामीण विकास अधिकरण,

श्री मंजीत चावला, पिता-श्री अमरजीत सिंह चावला द्वारा सोन -35 बालू घाट, मौजा-खराओं चतुर्भुज, अंचल-सहार, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय सहार,

दिनांक: 21.06.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री लुनील कुमार पांडेय	निंदराक, डी.आर.डी. रो मौजा	 21/6/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	कोपडा-वि.रा.पु.वि. पर्वत, पटना	 21-6-23
3.	आनंद प्रकाश	खनिज विकास मौजा	 21/06/23
4.	Satish Singh	Riam Enviro. Pvt. Ltd	
5.	बुद्धा कु. शर्मा	Riam Enviro Pvt Ltd.	
6.	मुन्ना राम	बस्ता, बस्ता	
7.	Bed Prakash	Khauri Ghaur	
8.	कमलेश सिंह	सहार	
9.	विपुल	खड़ाव	
10.	मनोज कुमार	खड़ाव	
11.	आंकित कुमार	खड़ाव	
12.	रमेश प्र. सिंह	श्री विहार नई दिसली प्र. M. Choudhary	
13.	विमल कुमार	खड़ाव	
14.	गौरव सिंह	खड़ाव	
15.	आनंद मुकुंद कुमार	खड़ाव	
16.	श्रीम. लाल राम	खड़ाव	
17.	पि. प्र. शर्मा	खड़ाव चतुर्भुज	
18.	रंजीत शर्मा	खड़ाव चतुर्भुज	

19.	हामादेर मंडाल	खंडीव चतुर्गुज	खंडीव
20.	महलखण्ड मंडाल	खंडीव चतुर्गुज	खंडीव
21.	खंडीव मंडाल	खंडीव चतुर्गुज	
22.	मोरो-5 कुल राम	खंडीव चतुर्गुज	खंडीव
23.	श्रीमान कुमार	खंडीव चतुर्गुज	खंडीव
24.	खंडीव मंडाल	खंडीव चतुर्गुज	
25.	Ravishankar Nagar	Kharawan Kalan	Ravishankar Nagar
26.	खंडीव मंडाल	खंडीव	Khel Kumil
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			